# न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
## परिवाद संख्या 61/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

.........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री मोहनप्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद, मैसर्स वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, नया बाजार, अजमेर।
2. मदनगोपाल अग्रवाल, मैसर्स वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, नया बाजार, अजमेर।
3. ललित मदनगोपाल अग्रवाल, मैसर्स वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, नया बाजार, अजमेर।
4. मैसर्स वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, नया बाजार, अजमेर।
5- Avinash Mahershi S/O Shree Omprakash (Proprietor), M/S Shree Shyam Agency, Shop no 51A, Shyam Vihar, I.C.D. Kanakpura, Japur.
6. M/S Shree Shyam Agency, Shop. no 51A, Shyam Vihar, I.C.D. Kanakpura, Japur.
7. Manish Shrivastava, M/S Capital Foods Private Limited, Village Nahali, Tah. Umbergaon, Dist Valsad, Gujrat - 396108
8. M/S Capital Foods Private Limited, Village Nahali, Tah. Umbergaon, Dist Valsad, Gujrat - 396108

........*अप्रार्थीगण*

**खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत**

उपस्थित :– 1. श्री आशीष कुमार शर्मा वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

**<u>–: आदेश :–</u>**

**दिनांक– 28.04.2017**

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरुप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने मिसब्राण्ड Veg Hakka Noodles, ब्राण्ड Chings Secret विकय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (।) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरुप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 04.06.2015 को 03.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सुपर वी मार्ट रिटेल लिमिटेड, नया बाजार, अजमेर पर पहूॅचे श्री मोहनप्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Veg Hakka Noodles, ब्राण्ड Chings Secret का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान Veg Hakka Noodles, ब्राण्ड Chings Secret के 150–150 ग्राम के 16 पैक पैकेट रखे हुए थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को Veg Hakka Noodles, ब्राण्ड Chings Secret में मिलावट का शक होने पर 16 पैक पैकिट (150–150 ग्राम) Veg Hakka Noodles, ब्राण्ड Chings Secret वास्ते नमूना जॉच हेतु 300/– रूपयें श्री मोहनप्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद को नगद देकर गवाह श्री प्रेम चन्द शर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मोहनप्रसाद पुत्र श्री रामचन्द्र प्रसाद को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करके खरीदशुदा Veg Hakka Noodles, ब्राण्ड Chings Secret के प्रत्येक 2–2 पैकिट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ अजमेर के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चिपका कर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1071 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सीज किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/7832 दिनांक 02.07.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/461/एक्ट/2015 /347 दिनांक 18.06.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया Veg Hakka Noodles, ब्राण्ड Chings Secret मिसब्राण्ड होना पायी गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 01.06.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 01.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 28.04.2017 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 28.04.2017 को अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थीगण ने उन पर लगाये गये आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए जवाब नोटिस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तर्क स्पष्टतः दुर्नियोजित, गलत, भ्रामक एवं सारहीन है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की पूर्ण पालना की गई है। परिवादी के द्वारा अपनी रिपोर्ट में

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

पाया जाता है। परिवाद में वर्णित तथ्यों में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कही भीं मिसब्राण्ड क्या है एवं किस कारण से है इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा न ही खाद्य विश्लेषक द्वारा भी कोई स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरवक्त बहस उपस्थित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखा जा सका है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जबकि प्रार्थी स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को औचित्यपूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्व करने में असफल रहे है, इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब भी वह न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत करे तब प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी लेकर प्रस्तुत करें तथा वरवक्त बहस न्यायालय में उपस्थित रहकर सरकार की ओर से पैरवी करें। अन्यथा उनके विरूद्व नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने हेतु लिखा जावेगा। इसके साथ ही अप्रार्थीगण को भी निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में उन्हें मसाला मिक्स के पाउच पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग अधिनियम 2011 की पालना में घोषणा अंकित करे ताकि उपभोक्ता के हित की रक्षा हो सके एवं उपभोक्ता को ज्ञान हो कि वे क्या खा रहे है। आदेशों की पालना सख्ती से की जावे।

आदेश आज दिनांक 28.04.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायिक निर्णायक अधिकारी अजमेर

(किशोर कुमार)
**न्याय निर्णायक अधिकारी एवं**
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर**

कमांक :सरिस्ता/अपर/2017/ 1240-42 दिनांक : 28.4.17

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2- अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

3- Avinash Mahershi S/O Shree Omprakash (Proprietor), M/S Shree Shyam Agency, Shop no 51A, Shyam Vihar, I.C.D. Kanakpura, Japur.

**न्याय निर्णायक अधिकारी एवं**
**अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर**

Scanned by CamScanner